राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / वाकायो 14–15 / 2013 जयपुर, दिनांक : 5 DEC 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.07.2013 एवं 08.11.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट 2014–15 के निर्माण के संबन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में योजनान्तर्गत कार्यों के सम्पादन में कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों यथा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण, सैरी कल्चर, आंगनबाडी निर्माण आदि के कार्य अधिक से अधिक जोडे जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है ताकि योजनान्तर्गत स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण तथा आजीविका से जुडे हुए कार्य अधिक से अधिक कराए जा सके एवं योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस संबन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिए गये थे कि योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स एवं आजीविका से जुडे अधिक से अधिक कार्य वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में सम्मिलित किये जावे (प्रति संलग्न)। सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2013 को आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेन्स में भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों को वार्षिक कार्य योजना 2014–15 में जोडे जाने के निर्देश पुनः दिए गए है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईड लाइन 2013 के अनुरूप 1 दिसम्बर तक जिला स्तर से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है परन्तु राज्य में विधान सभा चुनाव 2013 के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण अधिकांश जिलों में पंचायत समिति स्तर / जिला स्तर से वार्षिक कार्य योजना 2014–15 का अनुमोदन नहीं हो पाया है। विधान सभा चुनाव पूर्ण हो जाने के उपरान्त यह अनिवार्य हो जाता है कि वार्षिक कार्य योजना 2014–15 का अनुमोदन समस्त स्तरों से कराया जावे।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देश दिए जाते है कि पूर्व में कन्वर्जेन्स से कराए जाने वाले कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में इस प्रकार के कार्य वार्षिक कार्य योजना 2014–15 में सम्मिलित किए जाकर कार्य योजना का अनुमोदन विभिन्न स्तरों से कराया जाकर 31 दिसम्बर, 2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे। साथ ही ग्राम पंचायतवार श्रम बजट योजना की वैब साईट पर एम.आई.एस. के तहत अपलोड किया जावे ताकि राज्य का समेकित (Consolidated) श्रम बजट केन्द्र सरकार को समय पर प्रेषित किया जा सके। ग्राम पंचायतवार श्रम बजट बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि श्रम बजट का आंकलन वास्तविक स्थिति तथा वर्ष 2013–14 की वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप हो।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप रांका)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / जोधपुर / बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस